

राष्ट्रीय कार्यालय

# कर्मचारी राज्य बीमा निगम

डी.डी.ए. बॉयिंग-वन-नॉर्थवुड कम्प्लेक्स, गवर्नर पवन, गवर्नर रोड, नई दिल्ली-110008

संख्या: डी/बो-5/बीएम-10/डि०-41/XX/10-55327-101

दिनांक 27 MAY 2002

सेवा में श्री/श्रीमती

सेवा SERVICE MAX FACILITY MANAGEMENT (P) LTD.

D-5, (G.F.), KHAR COLONY, LAJPAT NAGAR-IV

NEW DELHI-24

विषय - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (कर्मचारी) की धारा 3(1)(5) के अंतर्गत कर्मचारी तथा कर्मचारी/स्वायत्त को रजिस्ट्रेशन।

प्रति महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अंतर्गत कर्मचारी सरकार के अधिनियम सं० एम०एल०-32(36) दिनांक 1-2-82 के अनुसार एवं एम०एल० दिनांक (बीर) के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत शामिल सभी कर्मचारियों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों को लागू किया गया है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सरकार ने अधिनियम के उपबंधों को विस्तार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अंतर्गत अन्य कर्मचारी पर भी उल्लिखित तरीक से किया है।

स्वायत्त को विस्तार

अधिनियम सरकार  
तथा तरीक

क०ए० बीमा निगम  
(राज्य) मोहल्ले के  
विस्तार की तरीक

1. पिछले चार महीने के दौरान किसी भी दिन कोई परिवार (जिसके उन-के-के परिवार) में कोई एक अथवा उसके अधिक निकट रिश्तेदार को दस से 20 से कम व्यक्तियों के अथवा निरक्षरों के एक अथवा किसी भी क्षेत्र में विद्युत शक्ति को सहायता से आवाहन/सहायता निरक्षरों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

एल-27(2)/75-लेन  
28-3-75

29-3-75

2. पिछले चार महीने के दौरान किसी भी दिन कोई व्यक्ति परिवार में निरक्षरों के अथवा निरक्षरों के एक अथवा किसी क्षेत्र में विद्युत शक्ति को सहायता से आवाहन/सहायता प्रदान करने के लिए है।

-बंद-

-बंद-

3. निरक्षरों/अन्यथा नहीं पिछले 12 महीने में दौरान किसी तरीक को 20 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों के अथवा निरक्षरों के लिए है।

-बंद-

-बंद-

1. संदेश 2. संदेश

3. पूर्व दर्शन विवेक सहित विवेक

4. सहायता केर परीक्षण

एल-27(2)/74-लेन

28-3-76

5. सहायता पर परीक्षण

दिनांक 26-3-76

6. दुबारा

एल-28(20)/88/अर्द्ध एम०के०

2-10-88

दिनांक 30-9-88

अधिनियम की धारा 2 (क) के अंतर्गत ऐसी किसी कर्मचारी/स्वायत्त को अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है जहाँ उसके अथवा 4 के अनुसार मुख्य निरक्षर को यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन परीक्षण तथा अधिनियम के अंतर्गत अपने संबंध में अंतर्गत भी अंतर्गत करें।

The Registration of a contractor immediately employer independently under the ESI Act is a shop or as a factory with trade Number does not also be a Principal employer of the factory under section 48(1) and section 4.

30/020

